न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/07/2018

1. दौलत पुत्र स्व0 बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी–ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. अनिल कुमार नंदवाना पुत्र गोवर्धनलाल
2. श्रीमती अनिता नंदवाना पत्नि अनिल कुमार नंदवाना
3. अर्पित कुमार पुत्र स्व0 महेश कुमार नंदवाना
4. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि स्व0 महेश कुमार नंदवाना
   समस्त जातिं नंदवाना बोहरा, निवासीगण–ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 92 क, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय **दिनांक: 09.11.2022**

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 3716 रकबा 0.29 हैक्टीयर, 3719 रकबा 0.99 हैक्टीयर एवं खसरा नंबर 3720 रकबा 0.01 हैक्टेयर ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसका वादी रिकॉर्डेड खातेदार है एवं कदीम से काबिजकाश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि खसरा नंबर 3716 के उत्तरी दिशा की ओर लगवा प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 3715 रकबा 0.55 हैक्टीयर है जिसमें वादी स्वयं तथा अपने परिवारजन गत 50–60 वर्षो से कदीम से आमद–रफत के रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग करते आ रहे है अर्थात् प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खसरा नंबर 3716 के लगावा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 3715 में उत्तरी–पूर्वी दिशा में [illegible] X 60" कुल 200 वर्गगज आमद–रफत के रास्ते का कदीम से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है जिसके बाबत् वादी ने अदालत हाजा में धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन भी कर दिया हैं। वादी की खातेदारी के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

नंबर 3716, 3719 व 3720 में आने जाने का एकमात्र आमद–रफत का रास्ता खसरा नंबर 3715 के उत्तरी–पूर्वी दिशा में गत 50–60 वर्षो से रहा है जिसका वादी कदीम से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा मौके पर ग्रेवल रोड भी बनी हुई है लेकिन दिनांक 11.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी के उक्त आमद–रफत के रास्ते को बंद करने हेतु पत्थर, बजरी आदि निर्माण सामान डलवाकर नींवे खोदना प्रारम्भ कर दिया तथा वादी की खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नंबर 3716 में भी अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस पर वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी कि तथा अवैध निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ तथा लगातार उत्पन्न होने से वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमायी जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 3716 रकबा 0.29 हैक्टीयर वाकै ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में निहित वादी के हक हिस्से में के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, बेजामजाहहमत व दखलन्दाजी नहीं करे ना करावे तथा खुर्द–बुर्द आदि नहीं करे ना ही विशिष्ठ भू–भाग पर किसी भी प्रकार अवैध पुख्ता निर्माण कार्य ना स्वंय करे ना अन्य किसी से करावे अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रतिवादीगण को जवाब दावा हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। वाद में जवाब दावा पेश न होने पर तनकीयात कायम न की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र दौलत पुत्र स्व0 बंशी, कैलाश मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा, गोपाल पुत्र प्रहलाद के पेश किये गये। वकील प्रतिवादी को जिरह हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्यवादी से जिरह नहीं करने पर जिरह प्रतिवादी का अवसर बंद किया गया। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी का वाद में

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अनुतोष की वादी की उक्त भूमि खसरा नंबर 3716 के उत्तरी दिशा की ओर लगवा प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 3715 रकबा 0.55 हैक्टीयर है जिसमें वादी स्वयं तथा अपने परिवारजन गत 50–60 वर्षो से कदीम से आमद–रफत के रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग करते आ रहे है अर्थात् प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खसरा नंबर 3716 के लगवा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 3715 में उत्तरी–पूर्वी दिशा में स्थित 30'' X 60'' कुल 200 वर्गगज आमद–रफत के रास्ते का कदीम से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादर फरमायी जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 3716 रकबा 0.29 हैक्टीयर वाकै ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में निहित वादी के हक हिस्से में के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, बेजामजाहहमत व दखलन्दाजी नहीं करे ना करावे तथा खुर्द–बुर्द आदि नहीं करे ना ही विशिष्ठ भू–भाग पर किसी भी प्रकार अवैध पुख्ता निर्माण कार्य ना स्वंय करे ना अन्य किसी से करावे अर्थात् मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या नया 528 खसरा नंबर 3716 वाकै ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का वादी सह–खातेदार काश्तकार है। धारा 92(क) से स्पष्ट रूप से यह मंशा व्यक्त की गयी है कि एक काश्तकार इस धारा के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उस दशा में ही ला सकता है जबाकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि किसी अन्य धारा के तहत निषेधाज्ञा सम्भव नही है इसके अतिरिक्त जब तक वादी यह प्रमाणित नही कर दे कि अपने किस निश्चित भू–भाग पर वह स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है तब तक संयुक्त खातेदारी की आराजी पर निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही। चूंकि प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की आराजी के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है।

इस प्रकार वादी का दावा साक्ष्यो से प्रमाणित नही होने से पोषनीय नही है। अतः खारिज होने योग्य होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 [illegible] लिखवायी जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली डिक्री पृथक से [illegible] कराई जाकर शामिल पत्रावली हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

दौलत मीणा बनाम अनिल कुमार वगै.

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 92 क, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/07/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का दावा साक्ष्यो से प्रमाणित नही होने से पोषनीय नही है। अतः खारिज होने योग्य होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ५ मुबलिग ५ बाबत ५

..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ५ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ५ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.11.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय